सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान
राज्य परियोजना कार्यालय
लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद-आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ,
कानपुर नगर, मेरठ, वाराणसी

पत्रांकः नगरीय नवाचार/ 3891 /2010-11 दिनांकः 28 अक्टूबर, 2010

विषयः वर्ष 2010-11 में नगरीय नवाचार अन्तर्गत निःशुल्क ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वर्ष 2010-11 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में 06 महानगरों आगरा, इलाहाबाद लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ व वाराणसी के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित व अध्ययनरत बच्चों हेतु विद्यालय पहुंच तक निःशुल्क आवागमन सुविधा प्रदान करने हेतु नगरीय नवाचार अन्तर्गत प्रति जनपद रू0 10.00 लाख की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है जिसकी प्रति आपको राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक वा0का0यो0 एवं बजट/591/2010-11 दिनांक 05 मई, 2010 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

नगरीय नवाचार के अन्तर्गत बच्चों को विद्यालय हेतु निःशुल्क आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की कार्ययोजना बनाकर प्राथमिकता पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध मे निम्नवत् निर्देश हैं:-

<u>कार्ययोजना का उद्देश्य/ लाभार्थी वर्ग</u>

- महानगरों के नगरीय क्षेत्रों में कई ऐसे वार्ड/मुहल्ले हैं जहां प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय की पहुंच दूर होने के कारण इन बस्तियों/ मुहल्लें/वार्डो के बच्चें (विशेषकर लड़कियां) विद्यालय की पहुंच से वंचित रह जाते है अथवा नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो पाते है।
- इन बच्चों के नियमित रूप से विद्यालय जाने हेतु निःशुल्क आवागमन की सुविधा हेतु सरकारी अथवा सरकार द्वारा अनुबन्धित निजी बसों अथवा अनुबन्धित निजी वाहन के

N18/9b

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780998, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; upedulko@sth.n

माध्यम से व्यवस्था करायी जाये ताकि विद्यालयों मे पहुंच एवं ठहराव सुनिश्चित किया जा सके।

नगरीय नवाचार की कार्ययोजना हेतु रणनीति

उक्त कार्ययोजना हेतु बच्चेवार एवं विद्यालयवार तथा सम्बन्धित मार्ग पर उपलब्ध परिवहन विभाग द्वारा संचालित बस सेवा की विस्तृत सूचना एकत्रित किया जाना आवश्यक है ताकि आवश्यकता आधारित नियोजन कर स्पष्ट कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित की जा सके। इस हेतु निम्नवत् कार्यवाही जनपद स्तर पर अपेक्षित है :-

कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता का आकलन

कार्ययोजना के कार्यान्वयन हेतु सर्वप्रथम निम्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में विवरण प्राप्त कर आवश्यकता का आकलन कर लिया जायेः-

- नगर क्षेत्र में विद्यालयवार संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा ऐसे बच्चों का बस्ती/मुहल्लेवार विवरण प्राप्त किया जायेगा जिनके घर से विद्यालय की दूरी 01 किमी से अधिक हो। **(प्रारूप-ख संलग्न)**
- उस बस्ती/मुहल्ले में अवस्थित ऐसे बच्चों के घर से विद्यालय तक क्या कोई बस रूट है तथा उक्त रूट पर क्या परिवहन विभाग की अथवा परिवहन विभाग द्वारा अनुबंधित बस सेवा अथवा सिटी बस की सेवा नियमित रुप से (विद्यालय संचालन समय के अनुरूप) संचालित की जाती है, का विवरण तैयार कर लिया जाये।
- जिन बच्चों का घर एक ही रूट पर पड़ता हो उस रूट पर कितने बच्चे होंगें और कितनी बसों/वाहन की व्यवस्था आवश्यक होगी उसका आकलन कर लिया जाये। उदाहरणार्थ एक ही रूट पर आस पास रहने वाले कितने बच्चे होंगें उन बच्चों को एक ही रूट पर अलग-अलग स्थानों से (उस रूट पर बच्चों की उपलब्धता के आधार पर) बस द्वारा पिक-अप कर लिया जाये। बस की क्षमता और उस रूट पर उपलब्ध बच्चों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार परिवहन निगम की बस अथवा परिवहन निगम द्वारा अनुबंधित निजी बस अथवा सिटी बस से बच्चों के आवागमन हेतु व्यवस्था की जाये।
- जिन रूट पर परिवहन निगम की बस अथवा परिवहन निगम द्वारा अनुबंधित बस अथवा कोई सिटी बस उपलब्ध न हो सके उन रूट पर बच्चों को घर से विद्यालय ले जाने एवं विद्यालय से घर तक वापस लाने की निःशुल्क आवागमन सुविधा अधिकृत टैम्पों/वैन के माध्यम से की जा सकती है इस स्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुमन्य किराये की दरों पर अधिकृत टैम्पों/वैन अनुबन्धित किये जायेंगें तथा माहवार किराये का भुगतान टैम्पो मालिक/वैन मालिक के अनुबन्धकर्ता को किया जायेगा। इन मालिकों के अनुबन्धकर्ता का नाम, पता, फोन नम्बर आदि का सम्पूर्ण विवरण मालिक की गाड़ी पर अंकित किया जाना होगा तथा सम्पूर्ण विवरण नगर शिक्षा अधिकारी स्तर पर व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रखा जाना आवश्यक होगा।

- उक्त आवश्यकता का विद्यालयवार आकलन कर सम्पूर्ण विवरण तैयार किया जाये तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्ययोजना के कार्यान्वयन एवं अन्तिम रूप प्रदान किये जाने हेतु जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत् गठित समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

जनपद स्तरीय समिति

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य- सचिव
परिवहन विभाग का जनपद स्तरीय अधिकारी	सदस्य
सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य
जिला समन्वयक (वैकल्पिक शिक्षा)	सदस्य
नगर शिक्षा अधिकारी	सदस्य

- उक्त बैठक में जिलाधिकारी द्वारा विशेष रुप से ऐसे बच्चे जिनके घर से विद्यालय के रूट पर परिवहन विभाग द्वारा नियमित रूप से बस सेवा संचालित नहीं की जाती है ऐसी स्थिति में बच्चों को स्कूल ले जाने एवं वापस घर तक पहुंचाने हेतु बस चलाये जाने की व्यवस्था कराये जाने की कार्यवाही की जाये।
- उक्त के अतिरिक्त यदि बच्चों को घर से विद्यालय लाने व विद्यालय से घर तक पहुंचाने हेतु उपरोक्त कोई व्यवस्था संभव न होने की दशा में उक्त बच्चों के निःशुल्क आवागमन हेतु विशेष विद्यालयों में रिक्शे की व्यवस्था स्वीकृत करने हेतु जिलाधिकारी अधिकृत होंगें।
- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा परिवहन निगम की बस/ परिवहन निगम द्वारा अनुबंधित बस/ सिटी बस/टैम्पों/वैन के चालकों तथा विशेष परिस्थिति में स्वीकृत रिक्शा चालक का नाम, पता, फोन नम्बर आदि का सम्पूर्ण विवरण विद्यालय में रखा जाये तथा सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा अपना फोन नं0 भी वाहन परिचालकों को भी उपलब्ध कराया जाये जिससे वाहन खराब होने अथवा अन्य परिस्थिति में उक्त की सूचना सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दी जाये तथा प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि उक्त की सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व नगर शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जाये ऐसी स्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व नगर शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वाहन खराब होने की दशा में उन बच्चों को विद्यालय से घर पहुंचाने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करायी जाये।
- **सुलभ संदर्भ हेतु परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी यात्री पास योजना की दरें पत्र के साथ संलग्न हैं (संलग्नक-ग)**

Nilgr

<u>योजना का निरीक्षण, अनुश्रवण व पर्यवेक्षण</u>

- जनपद स्तर पर इस कार्यक्रम की कार्ययोजना को अन्तिम रूप प्रदान कर कार्ययोजना का अनुमोदन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण उपर्युलिखित गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
- योजना के क्रियान्वयन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण व अनुश्रवण का पूर्ण दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित नगर शिक्षा अधिकारी का होगा। नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त व्यवस्था का नियमित स्थलीय निरीक्षण भी किया जाये।
- स्कूल समय के अनुसार बस का समय, बस का रूट इत्यादि के सम्बन्ध में यू0पी0एस0आर0टी0सी0, परिवहन विभाग के साथ समन्वयन, वित्तीय विवरण, बच्चों का विवरण, निःशुल्क बस/टैम्पो/वैन/रिक्शा की व्यवस्था हेतु धनराशि की प्रतिपूर्ति इत्यादि का दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं नगर शिक्षा अधिकारी का होगा।
- जिला समन्वयक (वैकल्पिक शिक्षा) द्वारा इस योजना का निरीक्षण, अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किया जायेगा।

<u>वित्तीय प्रबन्धन</u>

- प्रति बच्चा अधिकतम धनराशि ₹ 300/- प्रतिमाह अनुमन्य होगी तथा स्वीकृत बजट की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय की जायेगी।
- नगरीय नवाचार हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु स्वीकृत धनराशि ₹ 10.00 लाख प्रति जनपद संलग्न परिशिष्ट-क के अनुसार जिला परियोजना कार्यालयों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से प्रेषित की जा रही है।

स्वीकृत गतिविधि/कार्यक्रम के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु उक्त धनराशि का व्यय सर्व शिक्षा अभियान के मैनुअल ऑन फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट एवं प्रोक्योरमेन्ट प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा तथा व्यय विवरण नियमित रूप से राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायें।

कृपया उपरोक्तानुसार नगरीय नवाचार के अन्तर्गत बच्चों के लिये निःशुल्क आवागमन की सुविधा प्राथमिकता के अधार पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही की सूचना दिनांक 2.11.2010 तक राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः उक्तवत्

भवदीय,

(के0राम मोहन राव)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: नगरीय नवाचार/ 3891 /2010-11/तद्‌दिनांक

प्रतिलिपिः

1. अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति जनपद- आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. नगर शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपदों को उक्त योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

28.10.10

(अशोक गांगुली)

अपर राज्य परियोजना निदेशक

पत्रांक: नगरीय नवाचार/3891/2010-11 दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 का संलग्नक

परिशिष्ट-क

वर्ष 2010-11 में नगरीय नवाचार अन्तर्गत निःशुल्क ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था हेतु जनपदों को अवमुक्त धनराशि का विवरण

क्र0सं0	जनपद	स्वीकृत धनराशि (₹ लाख में)
1.	आगरा	10.00
2.	इलाहाबाद	10.00
3.	लखनऊ	10.00
4.	कानपुरनगर	10.00
5.	मेरठ	10.00
6.	वाराणसी	10.00
	कुल योग	**60.00**

Nbirgh

पत्रांक: नगरीय नवाचार/3891/2010-11 दिनांक 28 अक्टूबर 2010 का संलग्नक

(ख)

जनपद का नाम :.......................................

नगर क्षेत्र में नवाचारी शिक्षा अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों में नामांकित बच्चों के लिए निःशुल्क आवागमन हेतु कार्ययोजना

क्रम सं0	वार्ड का नाम	परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित है या नहीं? (हैं/ नहीं)	यदि है तो विद्यालय का नाम (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक)	बच्चों का विवरण जो 1 कि0मी0 से अधिक की दूरी से विद्यालय आते हैं			कितने बच्चों के घर के आस–पास से विद्यालय तक परिवहन विभाग द्वारा बस सेवा संचालित की जाती है?			कितने बच्चों के घर के आस–पास से विद्यालय तक परिवहन विभाग द्वारा बस सेवा संचालित नहीं की जाती है?	कितने बच्चों हेतु टैम्पो/वैन की आवश्यकता है।		कितने बच्चों हेतु रिक्शा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।		अभ्युक्ति
				बालक	बालिका	योग	बच्चों की संख्या	बस संचालन का समय	कितने बच्चों हेतु बस पास की सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।		बच्चों की संख्या	टैम्पो/वैन की संख्या	बच्चों की संख्या	रिक्शों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

(हस्ताक्षर)
नगर शिक्षा अधिकारी

(हस्ताक्षर)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

NSingh

पत्रांक: नगरीय नवाचार/3891/2010-11 दिनांक: 28 अक्टूबर 2010 सलग्नक :- 8

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्रांकः– जी–30(1) सीएसी / 10–1025 सीएसी / 07–।। दिनांक 03 मई,2010

सेवा में,

अपर राज्य परियोजना निदेशक
सर्वशिक्षा अभियान
राज्य परियोजना कार्यालय,
विद्या भवन, निशातगंज
लखनऊ–226007

विषयः– परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क बस यात्रा–सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–अरबन प्लानिंग / 341 / 2010–11 दिनॉक 21.04.2010, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र संख्या– जी–30 सीएसी / 10–1025 सीएसी / 07–।। दिनांक 06.04.2010 के कम में अवगत कराना है कि उ0प्र0 परिवहन निगम में प्रभावी "यात्री पास योजना" के अर्न्तगत छात्रों हेतु विशेष रियायती पास योजना भी प्रभावी है। पास योजना के अर्न्तगत परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों द्वारा "पास" कय कर निगम बसों में यात्रा की जा सकती है। छात्रों द्वारा कय किये गये पासों की धनराशि की प्रतिपूर्ति आपके कार्यालय द्वारा छात्रों को की जा सकती है। उ0प्र0 परिवहन निगम में 6–14 आयु वर्ग के छात्रों हेतु अलग से पास योजना नहीं है।

उ0प्र0 परिवहन निगम में प्रभावी "यात्री पास योजना" विषयक इस कार्यालय से निर्गत परिपत्र संख्या–189सीएसी / 07–यू0ओ043सीएसी / 2000 दिनांक 18.01.2007 तथा परिपत्र संख्या–2221(1)सीएसी / 09–यू0ओ043सीएसी / 2000 दिनांक 15.10.2009, जिनमें छात्रों हेतु पास योजना का भी उल्लेख है, की प्रतियां संलग्न कर विस्तृत जानकारी एवं सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(शशि शेखर सिंह)
अपर प्रबन्ध निदेशक

APD(D) 6/5/10

Sh. Nautiyal
APD 7/5/10

720 8/5/10

Neelam
8/5/10

पत्रांक : नगरीय नवाचार/3891/2010-11 दिनांक 28 अक्टूबर 2010 का संलग्नक

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्रांकः—139 सीएसी /07—यू0ओ0 43 सीएसी/2000 दिनांक 18 जनवरी,2007

1—समस्त मण्डलीय प्रधान प्रबन्धक,
2—समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
3—समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त),
4—समस्त सम्परीक्षा अधिकारी,
5—समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो),
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

विषयः— मासिक पास योजना।

उ0प्र0 परिवहन निगम में यात्रियो को मासिक पास निर्गत किये जाने का प्राविधान है। यह पास ग्रामीर्ण सेवाओं मे एवं नगरीय बसों मे जारी किये जाते है। नगरीय बसों में विद्यार्थियों के लिये विशेष पास व्यवस्था है, परन्तु ग्रामीण सेवाओं में विद्यार्थियों के लिये विशेष पास व्यवस्थायें नही है। वर्तमान में "पास" एक माह हेतु जारी करने का प्राविधान है।

उपरोक्त पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त ग्रामीण सेवाओं में भी विद्यार्थियों के लिये "पास" जारी करने तथा मासिक पास के साथ—साथ, दो माह एवं अधिक अवधि के "पास" जारी करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में निम्नवत नीतिगत निर्देश दिये जाते है:—

(क)— ग्रामीण बस सेवाओं के अर्न्तगत

1— विद्यार्थियों से 21 सिंगिल ट्रिप्स (एक्सप्रेस सेवा दरो पर) का किराया चार्ज कर "विद्यार्थी मासिक पास" निर्गत किया जायेगा।
2— विद्यार्थियों को यह छूट केवल 35 किमी0 तक की दूरी की यात्रा के लिये ही प्रदान की जायेगी।
3— 05 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये किराया आधा चार्ज किया जाना पूर्व से ही निर्धारित है। विद्यार्थी पास में भी यह छूट प्रदत्त होगी।
4— विद्यार्थी की पुष्टि के लिये संबंधित स्कूल/कालेज/संस्था के प्रधानाचार्य का प्रमाण—पत्र "विद्यार्थी मासिक पास" बनवाने के लिये आवश्यक होगा एवं इसका अंकन अभिलेखों में किया जायेगा।
5— पास के संबंध में प्रभावी अन्य नियम व शर्ते पूर्ववत रहेंगी।

(ख)— ग्रामीण/ नगरीय बस सेवाओं के अर्न्तगत

1— एक माह के "पास" के अतिरिक्त, अब दो माह/तीन माह/छ: माह/एक वर्ष के लिये भी "पास" ग्रामीण/ नगरीय बस सेवाओं में निर्गत किये जा सकेंगे।
2— दो माह/तीन माह/छ: माह/एक वर्ष हेतु जारी "पासों" में समय—समय पर निर्धारित एक माह के पास मूल्य की दर पर निम्नवत छूट प्रदान की जायेगी :—

अ	दो माह हेतु पास	06 प्रतिशत की छूट
ब	तीन माह हेतु पास	10 प्रतिशत की छूट
स	छ: माह हेतु पास	15 प्रतिशत की छूट
द	एक वर्ष हेतु पास	20 प्रतिशत की छूट

3— पास के संबंध में प्रभावी अन्य नियम व शर्ते पूर्ववत रहेंगी।

कृपया "पास योजना" के अर्न्तगत उपरोक्त नवीन प्राविधानो के अनुपालनार्थ समस्त संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को तत्काल अवगत कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित करें। स्थानीय रूप से भी इसका प्रचार—प्रसार स्थानीय समाचार पत्रो के माध्यम से करायें।

(शंकर अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

.......2

पत्रांक: नगरीय बसाचार/3891/2010-11 दिनांक 28 अक्टूबर 2010 की संलग्नक फोटोप्रति कार्यवाही जारी 16/10-2009

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्रांकः–2221(1)सीएसी / 09–यू0ओ0 43 सीएसी / 2000 दिनांक 15 अक्टूबर,2009

1–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
2–समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त),
3–समस्त सम्परीक्षा अधिकारी,
4–समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो),
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

विषय: ग्रामीण / नगरीय बस सेवाओं में प्रभावी यात्री पास योजना में आंशिक संशोधन

कृपया निगम मुख्यालय द्वारा पूर्व निर्गत ग्रामीण बस सेवाओं में प्रभावी यात्री पास योजना में आंशिक संशोधन विषयक परिपत्र संख्या–2221सीएसी / 09–यू0ओ043सीएसी दिनांक 25.09.09 का संदर्भ ग्रहण करें। इसके कम में उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा संचालित ग्रामीण/नगरीय बस सेवाओं में यात्री पास योजना में निम्नवत आंशिक संशोधन हेतु भी निर्णय लिया गया है :–

1– ग्रामीण सेवाओं के अन्तर्गत प्रभावी यात्री पास योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों से 25 सिगिंल ट्रिप (एक्सप्रेस श्रेणी के बस किराया दर पर) का किराया चार्ज कर विद्यार्थी मासिक पास निर्गत किया जायेगा।

2– ग्रामीण सेवाओं के अन्तर्गत आठ दिवसीय पर्यटन पास रु 655.00 के मूल्य दर पर निर्गत किया जायेगा।

3– नगरीय सेवाओं (नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा छोडकर) में पास धारकों को वातानुकूलित बसें छोड़कर अन्य समस्त प्रकार की नगरीय तथा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत आने वाली नगरीय लो फलोर / सेमी लो फलोर गैर वातानुकूलित बसों में यात्रा करने की अनुमन्यता होगी।

4– नगरीय सेवाओं (नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा छोड़कर) में पास व्यवस्था हेतु निम्नवत दरें निर्धारित की जाती है:–

किमी0	मासिक पास का मूल्य (रू0)			
	सामान्य यात्री	वरिष्ठ नागरिक	छात्र (10वीं कक्षा तक)	छात्र (10वीं कक्षा से आगे, किन्तु 21 वर्ष की आयु तक)
1 से 10 किमी0	290.00	265.00	150.00	180.00
10 से अधिक 15 किमी0 तक	360.00	340.00	180.00	210.00
15 किमी0 से अधिक	435.00	410.00	220.00	240.00
समस्त मार्गों हेतु	540.00	510.00	270.00	300.00

5– लखनऊ महानगर परिवहन सेवा की नगरीय सेवाओं में "दैनिक पास" का मूल्य रू0 30.00 होगा।

...............2

6– लखनऊ महानगर परिवहन सेवा की नगरीय सेवाओं में "दो दिवसीय पास" का मूल्य रू0 50.00 होगा।

7– उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 6 में संबंधित पास योजना के अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

8– पास योजना में उक्त संशोधन दिनांक 15.10.2009 से, जारी होने वाले पासों में प्रभावी होगा।

कृपया ग्रामीण / नगरीय बस सेवाओं में "पास योजना" के अन्तर्गत उपरोक्त संशोधन के अनुपालनार्थ समस्त संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों को अवगत कराते हुए, नोटिस बोर्ड पर अंकन कराकर, अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(शशि शेखर सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक– समसंख्यक एवं समदिनांकित ।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
1– वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ ।
2– परिवहन निगम मुख्यालय के समस्त अधिकारी(अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक एवं अपर प्रबन्ध निदेशक, मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन) को छोड़कर)।
3– निजी सचिव– अध्यक्ष , प्रबन्ध निदेशक , अपर प्रबन्ध निदेशक, मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन) उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय।
4– जनसम्पर्क अधिकारी / प्रभारी–कम्प्यूटर कक्ष, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5– समस्त यातायात अधीक्षक / यातायात निरीक्षक , उ0प्र0 परिवहन निगम ।

(शशि शेखर सिंह)
प्रबन्ध निदेशक